#### REGD, NO. D. 1 - 1300-1/99



#### មាល់ទាល់ EXTRACEDINARY भाग II---सण्ड 3----उप-खण्ड (i)

PART II-Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

	1.5 2 a more forest 3 2014/905 12, 1936
सं. 463]	नई दिल्ली, बुधवार, सितज्जर 3, 2014/भाद्र 12, 1936 NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 3, 2014/BHADRA 12, 1936
No. 463]	NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 5, 2014/AM

### दिल्ली विकास प्राधिकरण

(कार्मिक शाखा-¶)

अधिर्णनग

चई दिल्ली, 29 अगरत, 2014

सा.का.नि. 635 (अ).---भारत के असाधारण राजगत्र भाग-11, खण्ड-3, उप-खण्ड--(i) में प्रकाशित दिसांक 05.08. 1999 की अधिसूचना और उसके बाद दिनांक 23.09.2005 का किए गए संशोधन में आशिक संशोधन करते हुए दि.वि.प्रा. के कल्याण केंडर के निम्नलिखित पदों के भत्ती निनियमों में निम्नानुसार संशोधन/आशोधन किया जाता है:-

में कल्याण/कामिक निरोधक पद के लिए भर्ती विनियम

j

	दिल्ली विकास प्राधिकरण में कल्याण/ कामक नगरात	दिवि.प्रा. के विद्यामन भर्ती विनियमों में प्रस्तावित संश्लोधन
जग्र.स.	भर्ती बिनियमों का मानक प्ररूप/कॉलम	कल्याण/ वत्रगिंक निरीक्षक
1.	पद का नाभ	15* (कार्यमार के आधार पर परिवर्तन किया जा समन्ता है।)
2.	पद्में की संख्या	2002
3.	चर्गकिरण	वेतन बेड-2 अर्थात् 9300-34800/ रत्तपये तथा मेड वेतन
1.	चेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनगान	4600 / २७९१२)
	चयन पद हे अशत। अचयन पद	आम् नहीं
j	का मेता में जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवी (पशन)	आगू नही
<b>ت</b> .	विया राषा न जाए हे नियम 30 के अंतर्गत देय है ।	
7.	जोकी पती के लिए आय सीमा	लागू गही
8.	जीवी नहीं हो लिए अपेक्षित संक्षणिक एवं अन्य अहेताए	आगू नहीं आगू गर्डी
9.	राहा गया का सर्व के लिए विधारित आयु एव शिक्षणिक अर्डताल	
	वया साधा गरा के लिए में आए कर्मचारियों के मामरी में सामू पदोल्मति और प्रतिनियुधित पर आए कर्मचारियों के मामरी में सामू	
	लोगों ? परियोक्षा की अवधि, यदि कोई हो,	रो यम
10.	परिवाक्षी का असाव, पांच प्रवेश कर गहीं की पद्धतिन सीधी गती हास अर्थता पदीव्यति द्वारा अर्थता	सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से, जिसके चान
11.	भरत का प्रकृति जामा नहीं के विभिन्द पद्धतियों करा पर जाने	सोबाल्कर लिया जाएगा जिसका भार (वेटेज) क्रमश 85% एवं 15%
	वाले पदों की प्रतिशत्मता	
12.	पदीन्तात/प्रतिनियुवित/आगेलन द्वारा पती के मागले में, वह भेड जियसे पदीनांचे/प्रतिनियुदित/आगेलन किया जाना है ।	ित जि.प्रा. में कार्यरत कमेतारी जिनका चेतन थेडे-न अशोर 3200 -20200 / - रूपये तथा पेड वेतन 2400 / - रूपये और अनिक त तथा जिनकी ग्रेड में 3 तर्ग की नियमित्त सेवा है, वे सीमित नियामीर

3467GJ14.

# THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

Casel Mark

P प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से पात्र हैं परन्तु उनकी आयु 45 वर्ष रो यदि कोई विभागीय पदोन्तति समिति है. तो उसका मठन वया है ? अधिक न हो । 10. विभागीय पदोन्नति समिति लागू नहीं । 14. बचाच इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे इस संबंध में केन्द्र रारकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी कागोलिय ज्ञापन के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को भिलने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायलों पर प्रतिवरूल प्रभाव पछे । निरहेता 15. कोई भी ऐसा व्यक्तिः (क) जिसने किसी ऐसे व्यवित से विवाह किया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो जिसकी पत्नी/पति जीवित हो; अथवा (ख) जिसने अपनी पत्नी/पति के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से तिवाह कर लिया हो अशवा विवाह करने का अनुबंध किया हो, उयत पद पर नियुवित का पात्र नहीं होगा वशते कि केन्द्र सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण, यदि इस वात से संतुष्ट हो कि वह विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पुर लागू खीय विधि (पर्सनल लॉ) के अंतर्गत अनुगेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार है, तो वह उस व्यक्ति को इन विनियमों के प्रवर्तन से छूट दे सकती/सकता है । जब अध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण की यह राय हो कि ऐसा करना 16. शिथिल करने की शवित्त आवश्यक अथवा सभीचीन है, तो वे लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथवा वर्ग अथवा व्यक्तियों अथवा पदों के संबंध में इन विभियमों के किसी भी खपकंघ को आदेश द्वारा-शिथिल कर सकते हैं ।

#### दिल्लो विकास प्राधिकरण में कुल्याण अधिकारी के पद के भर्ती विनियम

W	मल विनियमों का भानक प्ररूप कोंलम	दि.वि.प्रा. के विद्यगान भर्ती चिनियमों में प्रस्तावित संशोधन
1.	पद का नाम	कृत्याण अधिकारी
2.	पदों की संख्या	5* .(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)
3.	वर्गीकरण	सग्ह 'रब'
4.	वेतन वैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनगान	ेवेतन रीड—2 अर्थात् 9300—34800/— रूपये तथा ग्रेड वेतन 4800/—रूपये
		च्छार्यन पद
5.	चयन पद है अथवा अचयन पद	
6	क्या सेवा में जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियभावली, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत देय हैं ।	लागू नहीं
7.	नियमायसा, 1972 के नियम 30 के नाय में स्थित स्थान के नियम	लागू नहीं
	सीधी गत्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	लागू नहीं
8.	वशा सीधी भर्ती के लिग्न निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं पंदोलानि	हाग् नहीं
9.	और प्रतिनियुगित पर आए कर्मचारियों के मागले में लागू होंगी ?	
10,	परिशोश की अवधि, यदि कोई हो,	लागू गही
11.	भूनी की पत्नति- सीधी भूती हारा अध्या पदोन्नति द्वारा अध्या	100% पदोन्नति द्वारा
11.	प्रतिनिय्यित / आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले	
	पटो की प्रतिशतता	to reduce the loc of the A and a the form
12.	प्रदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आगेलन द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में,	कल्याण/कार्मिक निरीक्षक, जिनकी ग्रेड में 6 वर्ष की नियमित सेव
1	तह गेड जिससे पदोन्तति / प्रतिनिय्वित / आमेलन किया जाना है ।	[j] [j]
13.	यदि कोई विभागीय पदीन्गति रागिति है, तो उसका भठन वया है ?	रामूह-'ख' के अधिकारियों के लिए बरिष्ठ रतरीय विभागीय पदोन्न
13.		समिति, जिसे वि.वि.प्रा. हारा रागयसमय पर अधिसूचित किया गर
14 .	वेचांच	इन निनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिसरों इस संबंध में के
14. "	4-114	रारकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सगय-संगय पर जा
		आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतप सीनेकों और अन्य विशेष बमा के व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्ष
		रीतिको और अन्य विशेष वर्गा के व्यावसंचा को मिलन वाल आरको आय सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।
	to see the provide strategy where the set	आध्य सामा म छूट आर अन्य रियायता पर प्रातमूल प्रमाप पड़ा

15.	िरहर्षता	कोई भी ऐसा व्यक्तिः (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो जिसकी पत्नी/पत्ति जीवित हो; अथवा (ख) जिसने अपनी पत्नी/पत्ति के जीवित रहते हुए विस्सी अन्य ब्यांक्त से विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया
~		GÌ,

?

[PART II—SEC. 3(i)]

[ भाग 11-म्ह्रमण्ड ३(i) ]

0

	चनते पद पर नियुचित का पात्र नहीं होगा वश्ती कि कें- सरकार,/दिल्लो विकास प्राधिकरण, यदि इस बात से संतुष्ट हो कि क निवाह जस व्यवित और विवाह के दूसरे पह पर लागू स्वाय किंग (पर्सनल लॉ) के अतर्गत अनुमेय है तथा और ऐसा करने के अन्य जाधार ह, तो वह उस व्यक्ति को इन विनियमों के प्रवर्तन से प्रत्य सकती/ संकला है ।
16 रिंगिथिल करने का शक्ति	जन अध्यक्ष, दिल्ली विकास ब्राधिकरण की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा राभीचीन हैं, तो वे लिखित रूप में कारण रिकार्ड करक किसी श्रेणी अथवा वर्ग अथवा व्यक्तियों अथवा पदों के सबच में इन निनयमों के किसी भी उपबंध बने आदेश द्वारा शिक्षिल कर सकते है ।

[एफ. + (मिस)/04/आर.आर./वैज्ञफथर/2014/पी वी. 1]

व्रजेश कुमार मिश्रा, आयुक्त/सचिप

#### DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY (PERSONNEL BRANCH-I)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2014

G.S.R. 635 (E).-In partial modification to notification dated 05.08.1999 and followed by amendment dated 23.09.2005 published in Extraordinary Gazette of India Part-II. Section-3, and Sub-section-(i) amendments/ modification of Recruitment Regulations for the following posts of Welfare Cadre in DDA are made as under:-

### RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF WELFARE/PERSONNEL INSPECTOR IN DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

		Proposed modifications in the existing RRs of DDA
Si. No.	Standard format/Col. Of RRs	the lass and losector
1.	. Name of post	15 * (subject to variation dependent on workload)
2.	No. of post	C
3.	Classification	PB-2 i.e. Rs. 9300-34800/- with Grade Pay of Rs. 4600/-
1.	Pay Band & Grade Pay/Pay Scale	Mot applicable
5.	- Colonian Post or Non-Selection Post.	Not applicable
6.	Whether Selection Fysical version of service admissible whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension Rules, 1972	Not applicable
	- Lingt cocruits	Not applicable
7.	Age limit for direct recruits Educational and other qualifications required for	Not appricance
6.		Not applicable
9.	direct recruits. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitments will apply in the case of promotion and deputationists?	Two years
		Two years Through limited departmental competitive examination followed by interview
10.		with weightage of 85% & 15% respectively.
ÎÌ.	Method of recruitment, whether by allocation/absorption & or by promotion or by deputation/absorption & allocation/absorption	With MelEnner of as a second
12.	percentage of the posts to up mile of methods. In case of recruitment by fin case for which	The officials working in DDA in the Pay Band-1 i.e. Rs. 5200-20200/- with grade pay of Rs. 2-100/- and above with 3 years regular service in the grade through limited departmental competitive examination and not above 45 years
	promotion/deputation/absorption is to be thinter	of age. N DPC not applicable
13	In a DPC exists what is its composition.	
1-1.	Saving .	Nothing in these regulations shall effect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caster, Scheduled Tribes, Ex Service Man and other special categories of persons in accordance with the O.M. issued by the Central Govt./Delhi Development Authority from time to time in this regard.
15.	Disqualification	No person. (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a
12.		spouse living; or (b) Who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with
		any period Shall be engible for appointment to the said post, provided that the Central Government 7 Delhi Development Authority may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal taw applicable to such person and

### THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

Sec. 2

[PART II-SEC. 3(i)]

1		
	: Davide to a la	the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these regulations.
10.	Power to relax	Where the Chatrman, DDA is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the
		provisions of these regulations in respect of any class or category or persons or
		posts.

#### RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF WELFARE OFFICER IN DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

I No.	Standard forma//Col. Of RRs	Proposed modifications in the existing RRs of DDA
	Name of post	Welfare Officer
	No. of past	5* (subject to variation dependent on work load)
s.	Classification	Group 'B'
1.	Pay Band & Grade Pay/Pay Scale	PB-2 i.e. Rs. 9300-34800/- with Grade Pay of Rs. 4800/-
<u>.</u>	Whether Selection Post or Non-Selection Post.	Selection post
б. 	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension Rules, 1972	Not applicable
7.	Age limit for direct recruits	Not applicable /
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Not applicable
y . "	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitments will apply in the case of promotees and deputationists?	Not applicable
10.	Period of probation, if any	Not applicable
11.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption & percentage of the posts to be filled by various methods.	100% by promotion
12.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption is to be made.	Welfare / Personnel Inspector with 6 years regular service in the grade.
13.	In a DPC exists what is its composition.	Senior Level DPC for Group 'B' Officers as notified from time to time b DDA.
14.	Saving	Nothing in these regulations shall effect reservations, relaxation of age lim and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste Scheduled Tribes, Ex Service Man and other special categories of persons accordance with the orders issued by the Central Govt./Delhi Developme Authority from time to time in this regard.
15.	Disqualification Power to relax	No person: (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living; or (b) Who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage wi any person. Shall be eligible for appointment to the said post, provided that the Cent Government / Delhi Development Authority may, if satisfied that su marriage is permissible under the personal law applicable to such person a the other party to the marriage and that there are other grounds for so doin exempt any person from the operation of these regulations. Where the Chairman, DDA is of the opinion that it is necessary or expedient to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of
		to do, it may by order, for reasons to be recorded in reasons or provisions of these regulations in respect of any class or category or person posts.

## [F. 1 (Misc)04/RR/Welfare/2014/PB -1]

BRLESH KUMAR MISHRA, Commissioner-Cum- Secy.

4